

समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(जिला राजस्व शाखा)

ई-मेल :- adm.rev.Bettiah@gmail.com

पत्रांक 46(प्र.)/रा० दिनांक 07.03.2022

प्रेषक,

समाहर्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
-सह- अपर विधि परामर्शी,
बिहार, पटना।

विषय:-

बिहार विधानसभा में दिनांक 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक LRT-02- वि०स०(ध्याना०)-13/2022-1255/जे० दिनांक 05.03.2022

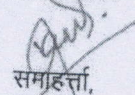
महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में माननीय बिहार विधान सभा द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित कण्डिकावार भेजा जाता है, जो निम्नवत है :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-4850/2021(ARISING OUT OF SLP(CIVIL) NO. 336750 OF 2017) के अनुसार कण्डिका-27 में देश में सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदारी नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिकार्ड कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन	स्वीकारात्मक। सेवाद्वार द्वारा धार्मिक न्यास पर्वद की परिसम्पत्तियों की अवैध विक्री ना करे। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।
2	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमण्डलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकबा एकड़ में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरमंगा प्रमण्डल में 5333 एकड़, मुंगेर प्रमण्डल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमण्डल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।	स्वीकारात्मक। अंचलाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निबंधित परिसम्पत्तियों की संख्या-136, अनिबंधित की संख्या-273 कुल संख्या-409 है तथा कुल रकबा 822.825 एकड़ है।
3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास अन्तर्गत चिह्नित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	जिला अन्तर्गत धार्मिक न्यास के चिह्नित सर्वेक्षित मठ, मंदिर की भूमि की मापी कार्य प्रगति पर है तत्पश्चात् पिलरिंग हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिस पर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं विक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गई। इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। मठों/मंदिरों के जमीन का सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण में है। यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन


समाहर्ता,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।